राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(ग)ए.सी.पी./83–III/अलेसे–I/ 8698-8710 दिनांकः– 03/9/2015
कार्यालय आदेश संख्या 94/2015–16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1986 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –I के पद पर कार्यरत है जिन्होने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृत्तीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, (9300–34800) एवं ग्रेड–पे 4800/– एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण मे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे रु 5400/– स्वीकृत किया जाता है।

क.स	नाम सहायक ले. ग्रेड– I(सर्वश्री)	क.ले. मैरिट संख्या/बैच	लिंक न.	जन्म तिथि	क.ले. पद पर कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	जगदीश लाल प्रजापत	220/83	1048	05.03.1959	27.08.1984	27.08.2011
2.	महेश चन्द शर्मा	234/83	1741	23.09.1959	27.08.1984	27.08.2011
3.	गोविन्द प्रसाद शर्मा	606/83	8634	09.07.1956	11.03.1985	11.03.2012
4.	अशोक कुमार अजमेरा	742/83	579	08.08.1960	11.03.1985	11.03.2012
5.	शशि कुमार शर्मा	DGS	6250	17.09.1965	31.01.1988	23.01.2015

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1, 3 एवं 4 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की पीएआर में से 7 वर्षों की पीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 एवं क्रम संख्या 5 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1 ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को पे–ग्रेड 4800/– में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2(ग)ए.सी.पी./83–III/अलेसे–I/ 8698-8710 दिनांकः– 03/9/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
2. श्री.. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय..
3. वरिष्ट निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/ (वेबसाईट हेतु)

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)